क्लेम प्रकरण क्र. 600/2022

Witness No- **01** For अनावेदक साक्ष्य Deposition taken the Day of दिनांक 17/01/2024 Witness appearent age- 38 वर्ष, States of affirmation oath my name is **टोपसिंह पटेल**

S/of- श्री पीलू राम पटेल , Occupation- कृषि मजदूर

Address - ग्राम – हथमुडी , जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

समय : 01:20 बजे से 01:30 बजे तक।

//मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री दिनेश सिंह, अधिवक्ता वास्तें अना. क्रं.01 व 02//

01– मैं घटना दिनांक 19/04/2017 को ग्राम जाताधर्रा से अपने परिजनों को लेकर अपने गांव हथमुड़ी वाहन बोलेरो क्रमांक सी.जी. 18/डी./0886 से जा रहा था तथा वाहन को मैं स्वयं चला रहा था ।

02– मैं ग्राम बहरापुर मेनरोड पर पहुंचा था कि तभी लगभग 8–9 बजे के आसपास एक वाहन डिस्कवर का चालक धमधा की ओर से अर्थात सामने की ओर से आते हुए अपनी वाहन को अत्यंत तेजी चलाते हुए एवं अपनी वाहन को अनियंत्रित कर मेरे वाहन की ओर मोड़ दिया जिसे बचाने के लिए मैं अपनी गाड़ी को रोड से नीचे उतारने का प्रयास किया था परंतु मेरा वाहन नीचे के नीचे पलट गया । उक्त दुर्घटना में मेरी कोई लापरवाही नही थी । मैं अपने साईड से वाहन चलाते हुए जा रहा था । उक्त दुर्घटना में मोटर सायकल चालक की लापरवाही थी।

//मुख्य परीक्षण द्वारा श्री एम.के. सोनी, अधिवक्ता वास्तें आवेदक//

03– यह कहना सही है कि मैं अपना आई कार्ड साथ लेकर नहीं आया हूं । यह कहना सही है कि मैं अपना आधार कार्ड लेकर नहीं आया हूं । मैं अपना ड्रायविंग लाईसेंस साथ लेकर नहीं आया हूं ।

04– मैं चार चक्का वाहन चलाने का लाईसेंस साथ लेकर नहीं आया हूं । यह कहना गलत है कि मैं तेज एव लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था जिसके परिणामस्वरुप दुर्घटना हुई है । यह कहना सही है कि मेरे विरुत्द्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 279, 337, 338 भादवि का दर्ज हुआ था । यह कहना सही है कि मेरे विरुद्ध थाना धमधा अन्वेषण कर अभियोग पत्र दांडिक न्यायालय में पेश किया गया है ।

05– यह कहना सही है कि वह मामला दांडिक न्यायालय में मेरे विरुद्ध चल रहा है । यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोग पत्र को खंडित कराने हेतु माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय में आवेदन नहीं किया हूं । यह कहना सही है कि मैं मोटर सायकल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया हूं । स्वतः कहा कि मैं रिपोर्ट करने गया था किंतु पुलिस ने मेरी रिपोर्ट दर्ज नही की । यह कहना सही है कि मैं पुलिस के उच्चाधिकारियों को थाना प्रभारी की शिकायत नहीं किया हूं । यह कहना गलत है कि मैं अपने बचाव में यह कह रहा हूं कि मोटर सायकल चालक की गलती थी । यह कहना गलत है कि मैं ही उक्त दुर्घटना के लिए जवाबदार हूं ।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया सही होना पाया।	मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।
RAKESH KUMAR VERMA Digitally signed by RAKESH KUMAR VERMA	RAKESH KUMAR VERMA Digitally signed by RAKESH KUMAR VERMA
(राकेश कुमार वर्मा) द्वितीय अपर मो. दुर्घ. दावा अधि., दुर्ग (छ.ग.)	(राकेश कुमार वर्मा) द्वितीय अपर मो. दुर्घ. दावा अधि., दुर्ग (छ.ग.)

साक्षी के हस्ताक्षर